गणेश प्रसाद बद्रीनारायण लाहोटी (मृतक) द्वारा एलआरएस

बनाम

संजीव प्रसाद जमना प्रसाद चौरसिया व अन्य

16 अगस्त, 2004

[अरिजीत पसायत और सी. के. ठक्कर, जे. जे.]

दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908:

धारा 11 व आदेश 22 नियम 3,4 तथा 11- अपील का उपशमन- पूर्व न्याय- प्रयोज्यता- अपील के लंबित रहने के दौरान वादी की मृत्यु हो गई, वादी के कानूनी उत्तराधिकारियों ने वादी की मृत्यु के लंबे समय बाद अपने नामों के प्रतिस्थापन के लिए आवेदन दायर किया- अपीलीय न्यायालय ने आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि कानूनी उत्तराधिकारियों को तीन आवेदन दायर करने चाहिए थे अर्थात (i) प्रतिस्थापन के लिए, (ii) अपील के उपशमन को अपास्त करने के लिए और (iii) देरी को माफ करने के लिए- तदनुसार, तीन अलग- अलग आवेदन दायर किए गए- अपीलीय न्यायालय ने उन आवेदनों को भी पूर्व- न्याय के आधार पर खारिज कर दिया- जिसकी सत्यतता- अभिनिर्धारितः पूर्व- न्याय का सिद्धांत, बाद के आवेदनों पर लागू नहीं होता है- अतः, आवेदनों की

अनुमति दी जाती है और अपीलीय न्यायालय को अपील को गुणावगुण के आधार पर सुनवाई करने का निर्देश दिया।

परिसीमा अधिनियम, 1963

धारा 5- विलंब के लिये क्षमा याचना- अपीलकर्ता की मृत्यु का पर्याप्त कारण- अपील लंबित रहने के दौरान- मृतक के अधिवक्ता ने कानूनी उत्तराधिकारियों को पत्र लिखा कि अपील सुनवाई के लिए रखी गई है- इस पत्र से मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को पहली बार पता चला कि मृतक द्वारा अपील दायर की गई थी- तुरंत ही, उन्होंने अपने नामों के प्रतिस्थापन के लिए आवेदन दायर किया- अभिनिर्धारित: इन परिस्थितियों में उत्तराधिकारियों की ओर से कोई निष्क्रियता या लापरवाही नहीं थी- इसलिए, प्रतिस्थापन के लिए आवेदन की अनुमति दी गई।

वादी प्रत्यर्थी संख्या- 1 (परिसर स्वामी) ने प्रतिवादी संख्या- 1 के विरूद्ध उसकी अनुमति के बिना विवादित सम्पत्ति को उप- किराये पर देने के आधार पर संपत्ति का कब्ज़ा दिलाये जाने के लिए वाद दायर किया। विचारण न्यायालय द्वारा दावे को डिक्री किया गया। जिला न्यायालय ने अपील स्वीकार की और अंतरिम रोक लगा दी। अपील के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी संख्या- 1 की मृत्यु हो गई।

जब प्रतिवादी संख्या- 1 के अधिवक्ता ने उन्हें एक पत्र संबोधित किया जिसमें कहा गया कि अपील सुनवाई के लिए रखी गई है, तो मृत प्रतिवादी

संख्या- 1 के उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों को पहली बार लंबित अपील के बारे में पता चला। उन्होंने तुरंत दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 22 नियम 11 के तहत आवेदन दायर कर अपने नामों के प्रतिस्थापन के लिए प्रार्थना की। प्रत्यर्थी ने इस आधार पर आवेदन का विरोध किया कि मूल प्रतिवादी संख्या- 1 की मृत्यु हो जाने से और नब्बे दिनों के भीतर कानूनी उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड पर लाने में विफलता के कारण अपील का उपशमन हो गया है।

जिला न्यायालय ने उत्तराधिकारियों के प्रतिस्थापन के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रतिस्थापन, अपील के उपशमन को अपास्त करने के लिए और देरी की माफी के लिए अलग आवेदन पेश नहीं किये गये थे। इसके बाद अपीलकर्ताओं ने तीन आवेदन (i) उपशमन को अपास्त करने और उनको पक्षकार के रूप में प्रतिस्थापित करने के लिए; (ii) देरी की माफ़ी के लिए; और (iii) अंतरिम राहत के लिए दायर के लिए। अपीलीय न्यायालय ने उन आवेदनों को इस आधार पर खारिज कर दिया कि देरी को माफ करने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं बताया गया था। अपीलीय न्यायालय ने आगे कहा कि पहले के आवेदन को खारिज कर दिया गया था, जिस कारण से अपीलकर्ताओं द्वारा दायर बाद के आवेदन पूर्व- न्याय द्वारा वर्जित थे।

उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि पेश करने में हुई देरी के लिए कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और यह भी कि आवेदन पोषनीय नहीं थे। इसलिए अपील पेश की गई।

अपीलकर्ताओं की ओर से,यह तर्क दिया गया कि जिला न्यायालय ने तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया था और पहले के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि केवल एक आवेदन किया गया था; और यह कि पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू नहीं था।

अपील स्वीकार करते हुए, न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारितः

1. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, जब मूल प्रतिवादी ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को स्वीकार नहीं किया था और जिला न्यायालय के समक्ष अपील दायर की थी जो लंबित थी और जैसे ही अपील सुनवाई के लिए रखी गई थी और अधिवक्ता ने अपीलकर्ताओं को एक पत्र संबोधित किया था, उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई थी, निचली अपीलीय न्यायालय को प्रतिस्थापन के लिए प्रार्थना स्वीकार करनी चाहिए थी। पहले आवेदन को खारिज करने के बाद अपीलकर्ताओं ने तीन आवेदन दायर किए थे जिन्हें मामले की समग्र और कमजोर परिस्थितियों पर विचार करते हुए स्वीकार करने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। जब न्यायालय को लगा कि आवेदन पोषनीय नहीं हैं तो पूर्व- न्याय का सिद्धांत

लागू नहीं किया जा सकेगा। यह अपीलकर्ताओं की ओर से निष्क्रियता या लापरवाही का मामला नहीं है। निचली अपीलीय अदालत को अपील को गुण- दोष के आधार पर सुनने का निर्देश दिया गया। (595- G- H; 596- A- B; 596- D)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5255/2004

बॉम्बे उच्च न्यायालय, पीठ औरंगाबाद द्वारा A.F.O. No. 78/1999 में पारित निर्णय दिनांक 18.12.2003 से।

उदय यू. ललित और रवींद्र केशवराव अद्सुरे- अपीलार्थियों की ओर से।

मनोज स्वरूप और सोमिरन शर्मा- प्रत्यर्थीगण की ओर से।

न्यायालय का निर्णय सी. के. न्यायामूर्ति ठक्कर द्वारा सुनाया गयाः अनुमति प्रदान की गई।

यह अपील 1999 के आदेश संख्या 78 की अपील में बॉम्बे (औरंगाबाद बेंच) के उच्च न्यायालय द्वारा पारित 18 दिसंबर, 2003 के फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित है। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा अपीलार्थी की अपील खारिज करते हुए अतिरिक्त संयुक्त जिला न्यायाधीश, जलगांव द्वारा पारित आदेश दिनांक 13 अक्टूबर 1999 की पुष्टि की।

वादी- प्रत्यर्थी संख्या- 1- परिसर स्वामी ने प्रतिवादी संख्या- 1 व 2 गणेश प्रसाद व भूषण भजन के विरूद्ध सिविल जज (जे.डी.) के न्यायालय में नियमित वाद संख्या- 121/1999 नगरपालिका हाउस संख्या- 764 सीटीएस संख्या- 1309, गांधी स्क्वायर, भुसावल (संक्षेप में वाद सम्पत्ति) का कब्जा वापस दिलाने के लिए इस आधार पर प्रस्तुत किया कि परिसर स्वामी को अपने सद्भाविक उपयोग के लिए परिसर की आवश्यकता है, साथ ही, सम्पत्ति के उपयोगकर्ता का बदलाव किरायेदार द्वारा परिसर का उपयोग नहीं करना तथा प्रतिवादी संख्या- 1 द्वारा उक्त सम्पत्ति का उपयोग नहीं करते हुए प्रतिवादी संख्या- 2 को गैर- कानूनी रूप से उप- किरायेदारी पर देना।

विचारण न्यायालय ने 14 फरवरी, 1995 को पारित निर्णय व डिक्री द्वारा इस आधार पर दावे को डिक्री किया कि प्रतिवादी संख्या- 1 ने अवैध रूप से प्रतिवादी संख्या- 2 को सम्पत्ति परिसर स्वामी की अनुमित लिये बिना उप- किराये पर दे दी।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री से व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या- 1 किरायेदार द्वारा नियमित सिविल अपील संख्या- 51/1995 जिला न्यायाधीश जलगांव के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अपील स्वीकार कर ली गई और अंतरिम स्टे आदेश पारित किया गया। हालांकि गणेश प्रसाद की दिनांक 04 जून, 1997 को दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई।

दिनांक 16 जुलाई, 1999 को या उसके आस- पास, प्रतिवादी संख्या- 1 का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता द्वारा प्रथम प्रतिवादी को जब एक पत्र संबोधित किया, जिससे अपीलार्थी जो कि मृतक गणेश प्रसाद के उत्तराधिकारी और कानूनी प्रतिनिधि हैं, को मृतक गणेश प्रसाद द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित की गई डिक्री के विरूद्ध दायर की गई अपील के लंबित होने के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई। जिस पर उन्होंने तुरन्त जलगांव में अधिवक्ता से सम्पर्क किया गया तथा लंबित अपील के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए उन्हें गणेश प्रसाद की मृत्यु के बारे में सूचित किया। जिसके पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रदर्श- 22 दिनांक 27 जुलाई 1999 को सिविल अपील संख्या- 51/1995 अन्तर्गत आदेश- 22, नियम- 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (इसके बाद' ') के तहत प्रस्तुत कर मृतक प्रतिवादी संख्या- 1 के कानूनी प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित किये जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया। उक्त आदेश की एक प्रति प्रत्यर्थी, परिसर स्वामी को दी गई। प्रत्यर्थी द्वारा प्रार्थना- पत्र का जवाब इस तर्क के साथ प्रस्तुत किया गया कि मूल प्रतिवादी गणेश प्रसाद की मृत्यु हो जाने पर उसके कानूनी प्रतिनिधियों को 90 दिवस की अवधि में रिकॉर्ड पर नहीं ले पाने की दशा में अपील उपशमित हो गई। यह तर्क दिया गया कि आवेदकों द्वारा उपशमन को अपास्त करने के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस वजह से आवेदन प्रदर्श- 22 पोषनीय

नहीं है। विद्वान अतिरिक्त संयुक्त जिला न्यायाधीश ने दिनांक 26 अगस्त 1999 को प्रदर्श- 22 आवेदन को अस्वीकार करते हुए आवेदकों के प्रतिस्थापन को इस आधार पर खारिज किया गया कि उनके द्वारा प्रतिस्थापन, अपील के उपशमन को अपास्त किये जाने तथा देरी की माफी के लिए पृथक- पृथक आवेदन प्रस्तुत नहीं किये गये।

'तकनीकी' आधार पर आवेदन प्रदर्श- 22 की खारिजी के बाद, अपीलकर्ताओं ने तीन आवेदन दायर किए (i) उपशमन को अपास्त करने और उन्हें पक्षकारों के रूप में प्रतिस्थापित करने के लिए प्रदर्श 29; (ii) देरी की माफी के लिए प्रदर्श- 31 और (iii) अंतरिम राहत के लिए प्रदर्श- 33। अपीलीय न्यायालय ने, हालांकि उन आवेदनों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि देरी को माफ करने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं बताया गया था। यह भी पाया गया कि पहले आवेदन प्रदर्श- 22 को खारिज कर दिया गया था और इसलिए अपीलकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन पूर्व- न्याय द्वारा वर्जित हैं।

उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में सिविल पुनरीक्षण संख्या- 1207/1999 संस्थित की। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने भी इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अपील की उपशमन के बाद, दो वर्ष के बाद आवेदन दायर किए गए थे और देरी की माफी के लिए कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं था। उच्च

न्यायालय ने यह भी पाया कि जब एक आवेदन पहले किया गया था और खारिज कर दिया गया था, तो अपीलकर्ताओं की ओर से उसी विषय को फिर से उठाना उचित नहीं था और इसलिए आवेदन पोषनीय नहीं थे। यह वह आदेश है जिसे हमारे सामने चुनौती दी गई है।

हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि किरायेदार के खिलाफ डिक्री पारित होने के बाद, उन्होंने जिला न्यायालय, जलगांव में अपील दायर करके अपीलीय मंच से संपर्क किया था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि किरायेदार ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को स्वीकार नहीं किया था। अपीलीय न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली थी और अंतरिम राहत भी दे दी थी। यहां अपीलकर्ताओं को उनके पिता द्वारा दायर अपील के बारे में पता नहीं था और इसलिए, वे मृतक गणेश प्रसाद की ओर से पेश अधिवक्ता के ध्यान में उक्त तथ्य नहीं ला सके। जुलाई, 1999 में जब जलगांव के अधिवक्ता ने मृत प्रतिवादी को एक पत्र लिखा कि मामला सुनवाई के लिए आया, तब अपीलकर्ताओं को जिला न्यायालय के समक्ष अपील के लंबित होने के बारे में पता चला। इसलिए, उन्होंने तुरंत अधिवक्ता से संपर्क किया, उन्हें गणेश प्रसाद की मृत्यु के बारे में सूचित किया और एक आवेदन प्रदर्श- 22 दायर किया। निचली अपीलीय न्यायालय ने दुर्भाग्य से एक तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया और आवेदन को इस आधार पर खारिज कर

दिया कि केवल एक आवेदन किया गया था। न्यायालय का यह कहना भी सही नहीं था कि देरी के लिए कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं था। जब अपीलकर्ताओं को जलगांव में लंबित कार्यवाही के बारे में पता नहीं था, तो वे मृतक गणेश प्रसाद की मृत्यु के तुरंत बाद आवेदन नहीं कर सके। पहली बार, उन्हें अपील की लंबित होने के बारे में तब पता चला जब उन्हें अधिवक्ता से एक पत्र मिला, जिसके माध्यम से मृतक- प्रतिवादी ने जिला न्यायालय, जलगांव में अपील दायर की थी। उसके बाद, अपीलकर्ताओं की ओर से कोई देरी नहीं हुई। इसलिए, निचली अपीलीय अदालत को आवेदन स्वीकार करना चाहिए था।

यह भी कहा गया कि आवेदन प्रदर्श- 22 को खारिज करने के बाद तीन अलग- अलग आवेदन अलग- अलग अनुतोष के लिए प्रार्थना करते हुए पेश किए गए थे।

जहां तक देरी का सवाल है, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, अपीलकर्ताओं ने उन परिस्थितियों के बारे में बताया था जिनमें मृतक गणेश प्रसाद की मृत्यु के तुरंत बाद आवेदन नहीं किया जा सका। इस प्रकार, देरी को माफ करने और पक्षकारों के प्रतिस्थापन के लिए प्रार्थना करने के लिए पर्याप्त आधार था। अधिवक्ता ने आगे कहा कि न्यायालय का यह मानना भी सही नहीं था कि आवेदन पूर्व- न्याय के आधार पर वर्जित थे। ऐसी स्थिति में पूर्व- न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होगा। यह आग्रह

किया गया कि उच्च न्यायालय ने भी अपील को आदेश से खारिज करके वही त्रुटि की है। इसलिए, अपीलीय न्यायालय के साथ- साथ उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन प्रदर्श- 29, 31 और 33 की अनुमति देकर पारित आदेशों को अपास्त करने और कानून के अनुसार अपील को निर्णित करने के लिए अपीलीय न्यायालय को उचित निर्देश जारी करने की प्रार्थना की गई थी।

दूसरी ओर, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निचली अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया और उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई। यह प्रस्तुत किया गया था कि निचली अपीलीय न्यायालय को जिला न्यायालय के समक्ष अपील के लंबित होने के संबंध में अपीलकर्ताओं की जानकारी की कमी के बारे में कुछ भी नहीं दिखाया गया था, जिस वजह से न्यायालय ने माना कि देरी की माफी के लिए कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं था। आवेदन प्रदर्श- 29, प्रदर्श- 31 और प्रदर्श- 33 के संबंध में, अधिवक्ता ने कथन प्रस्तुत किया कि न्यायालय ने उन आवेदनों को गुण- दोष के साथ- साथ पूर्व- न्याय के आधार पर भी खारिज करने में सही किया, इसका कारण यह था कि पहले आवेदन प्रदर्श- 22 को गुण- दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया था। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए तर्कों पर फिर से विचार किया है और अपील को स्थिरता के साथ योग्यता के आधार पर भी

खारिज कर दिया है। इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विवेकाधिकार में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि गुण- दोष के आधार पर भी, अपील स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है क्योंकि निचली न्यायालय ने उप- किराए पर देने के आधार पर डिक्री पारित की थी। किरायेदार ने मकान मालिक की अनुमति के बिना वाद परिसर को उप- किराए पर दे दिया था और इस प्रकार वह "मुनाफाखोरी" व्यवसाय में प्रवेश कर गया था।

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, हमारी राय में, अपील स्वीकार की जानी चाहिए। जहां तक प्रतिवादी के खिलाफ डिक्री पारित करने के आधार का सवाल है, हम स्पष्ट कर सकते है कि हम उस विषय पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं और जब भी मामला सुनवाई के लिए आएगा, न्यायालय गुण- दोष के आधार पर उचित आदेश पारित करेगी। लेकिन, हमारी राय में, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, जब मूल प्रतिवादी ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को स्वीकार नहीं किया था और जिला न्यायालय के समक्ष अपील पेश की थी, जो लंबित थी और जैसे ही अपील को सुनवाई के लिए रखा गया था और अधिवक्ता ने अपीलकर्ताओं को एक पत्र संबोधित किया था, जिस पर उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई थी, जिसे ध्यान में रखते हुये निचली अपीलीय न्यायालय को प्रतिस्थापन के लिए प्रार्थना स्वीकार करनी चाहिए थी। हमारा यह भी

विचार है कि आवेदन प्रदर्श- 22 को खारिज करने के बाद अपीलकर्ताओं ने तीन आवेदन प्रदर्श- 29, प्रदर्श- 31 और प्रदर्श- 33 दायर किए थे, जिन्हें मामले की समग्र और कमजोर परिस्थितियों पर विचार करते हुए अनुमति दी जानी चाहिए थी। जब न्यायालय को लगा कि आवेदन विचारणीय नहीं हैं तो पूर्व- न्याय का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सका। हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, यह अपीलकर्ताओं की ओर से निष्क्रियता या लापरवाही का मामला नहीं है।

न्यायालय के विचार में उपरोक्त कारणों से, अपील स्वीकार की जानी चाहिए और तदनुसार अनुमति दी जाती है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, जलगांव द्वारा 13 अक्टूबर, 1999 को पारित आदेश जिसकी 18 दिसंबर, 2003 को उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई, को अपास्त किया जाता है और आवेदनों को स्वीकार किया जाता है। हालाँकि, तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलकर्ता कोस्ट के रूप में वादी- प्रत्यर्थी संख्या- 1 को 10,000/- रुपये (केवल दस हजार रुपये) की राशि का भुगतान करेंगे। राशि का भुगतान आज से तीन माह की अवधि के भीतर किया जावेगा। इसके बाद निचली अपीलीय न्यायालय गुण- दोष के आधार पर अपील की सुनवाई करेगी और 31 अगस्त, 2005 को या उससे पहले कानून के अनुसार इसका फैसला करेगी। तदनुसार उपरोक्त उल्लेखित सीमा के अनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी शक्ति सिंह, (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।